आवेदक अभिभाषक श्री एन.के. जोशी द्वारा भोपाल कैम्प में प्रस्तुत। 3/5/18

समक्ष श्रीमान् राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर कैम्प भोपाल

निगरानी प्रकरण क्रमांक– /पी.बी.आर./2018

निगरानी-3646/2018/भोपाल/भू.रा.सं.

1. मनीराम आ0 स्व. रामचरण
2. प्रेमनारायण आ0 स्व. रामचरण
3. हरीराम आ0 स्व. रामचरण

तीनों निवासी–ग्राम कटारा
तहसील हुजूर जिला भोपाल ————————आवेदकगण

विरूद्ध

श्री विशन असनानी
आ0 श्री एच. असनानी
कार्यालय–601– 6 फ्लोर आशिमा
कॉरपोरेट जोन आशिमा मॉल
होशंगाबाद रोड भोपाल (म0प्र0) ————————अनावेदक

पुनरीक्षण आवेदन अंतर्गत धारा–50 म.प्र.भरा.सं. 1959

पुनरीक्षण विरूद्ध सीमांकन प्र.क्रं.–6/अ–12/14–15 ग्राम कटारा कार्यालय राजस्व निरीक्षक मण्डल 3 तहसील हुजूर भोपाल का आदेश दिनांक 10.11.2014।

आवेदकगणों की ओर से निम्न निवेदन है :–

पुनरीक्षण के तथ्य

1. यह कि आवेदकगणों की ग्राम कटारा प.ह.नं.–25 तहसील हुजूर भोपाल में स्थित मूल भूमि ख.न.–119 रकबा 3 हे. के भूमिस्वामी व आधिपत्यधारी थे। जिसमें से श्री विशन आसनानी को रकबा 2.835 हे. विक्रय पत्र के माध्यम से विक्रय किया गया था जिसका नामान्तरण व बटान के पश्चात ख.न.–119/1 रकबा 0.165 हे. व श्री विशन आसनानी के नाम भूमि ख.न.–119/2 रकबा 2.835 हे. अभिलेख में दर्ज किए गए।
2. यह कि नक्शा संशोधन पंजी क्र.–9 के द्वारा तहसीलदार के आदेश दिनांक 22.01.2013 के द्वारा ख.न.–119/1 व 119/2 के जो बटान विधि विपरीत तैयार किए व स्वीकृत किए जिसमें अंकित नजरी नक्शे

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक **पीबीआर/निगरानी/भोपाल/भूरा/18/3646** [मनीराम/विशन]

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
25-7-18	आवेदक अधिवक्ता श्री गगन जोशी द्वारा ग्राह्यता पर प्रस्तुत तर्को पर विचार किया गया । आवेदक द्वारा यह निगरानी राजस्व निरीक्षक मण्डल 3 तहसील हुजूर जिला भोपाल के प्रकरण क्रमांक 6/अ-12/2014-15 में पारित आदेश दिनांक 10-11-2014 के इस न्यायालय में साढे तीन साल से भी अधिक विलम्ब से प्रस्तुत की गई है। आवेदक अधिवक्ता द्वारा विलम्ब का कारण पारिवारिक परेशानियॉ एवं बीमारी तथा अधीनस्थ न्ययालय द्वारा सूचना पत्र की तामीली के अभाव में निगरानी प्रस्तुत करने में विलम्ब का कारण बताया गया है, परन्तु कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये है इसलिये आवेदक अधिवक्ता द्वारा बताया गया विलम्ब का कारण समाधानकारक मान्य नहीं किया जा सकता है । अतः यह निगरानी समय बाह्य प्रस्तुत होने के कारण अग्राह्य की जाती है । अध्यक्ष	